

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(215)वित्त-1(1)आय.व्य./2013

जयपुर, दिनांक : 24-3-15


--: आज्ञा :-

निर्देशानुसार यूरोपियन कमीशन राज्य सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग की आज्ञा F/SWRPD/Accts/EUSPP/2014-15/1191 दिनांक 17.03.2015 में वर्णित गतिविधियों के लिए निम्नानुसार विभागीय अधिकारियों को बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि की सीमा तक व्यय हेतु आहरण वितरण अधिकारी के अधिकार निम्न शर्तों पर प्रयत्न किये जाते हैं।

क्र. सं.	विभाग का नाम	बजट शीर्ष (आरोजना)	राशि (लाखों में)	कोष कार्यालय
1	मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ग्रामीण) जयपुर	4702-796-(01)-[03]-17	116.00	जिलाकोष जयपुर
	उप योग		116.00	
2	मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग, जोधपुर	2702-01-800-(05)-[01]-08	18.00	जोधपुर शहर
3	मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग, जोधपुर	2702-01-789-(01)-[01]-08	28.00	जोधपुर शहर
4	मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग, जोधपुर	4702-800-(09)-[01]-17	32.00	जोधपुर शहर
5	मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग, जोधपुर	4702-800-(09)-[01]-62	15.00	जोधपुर शहर
	उप योग		93.00	
6	आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग जयपुर	2702-01-800-(05)-[01]-29	76.80	सचिवालय कोष जयपुर
7	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय जयपुर	2702-01-800-(05)-[01]-57	20.00	सचिवालय कोष जयपुर
8	निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग जयपुर	4702-00-800-(09)-[01]-62	43.00	सचिवालय कोष जयपुर
	महा योग		348.80	

उक्त राशि के मासिक व्यय संबंधी सूचना उक्त सभी आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा मुख्य अभियंता, एस. डब्ल्यू. आर. पी. डी. विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत की जावे। उक्त बजट शीर्षों में किये जाने वाले व्यय के अंक मिलान का दायित्व मुख्य अभियंता, एस. डब्ल्यू. आर. पी. डी. विभाग, राजस्थान, जयपुर का होगा।

भवदीय,


(एम. एल. आचार्य)
उपशासन सचिव, (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. प्रधान महालेखाकार, कार्यालय (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
- ✓ 2. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिववित्त(व्यय-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग(ग्रामीण) जयपुर।
7. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग।
8. मुख्य अभियन्ता, एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी., जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय सचिवालय/जिला कोष, जयपुर/जोधपुर शहर।
11. निदेशक, जनसम्पर्क एवं सूचना निदेशालय, जयपुर।
12. सहायक, शासन सचिव, वित्त(बजट) विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

2/1/77

उप शासन सचिव (बजट)

क्र.सं.	विवरण	पत्रावली क्र.सं.	दिनांक
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050